राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8199/2020

देवीलाल बोचल्या पुत्र श्री श्याम लाल बोचल्या, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी समर्थपुरा, पिपराली रोड, सीकर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरीये निदेशक सह संयुक्त सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान)

2. नगर परिषद, भीलवाड़ा (राजस्थान) जरीये अध्यक्ष

3. दुर्गा कुमारी, कार्यकारी अधिकारी-III, स्थानीय निकाय निदेशालय, जयपुर (राजस्थान)

----प्रतिवादी

संलग्न

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9572/2020

देवीलाल बोचल्या पुत्र श्री श्याम लाल बोचल्या, उम्र लगभग 44 वर्ष, निवासी समर्थपुरा, पिपराली रोड, सीकर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरीये निदेशक सह संयुक्त सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर (राजस्थान)

2. श्रीमती. दुर्गा कुमारी, कार्यकारी अधिकारी-III, स्थानीय निकाय निदेशालय, जयपुर (राजस्थान)

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री सी.एस.कोटवानी (वी.सी. के माध्यम से)
प्रतिवादी के लिए: श्री सुनील बेनीवाल, एएजी (वी.सी. के माध्यम से)
श्री सचिन आचार्य (वी.सी. के माध्यम से)

माननीय न्यायाधिपति अरुण भंसाली

<u>आदेश</u>

रिपोर्टेबल

02/11/2020

याचिकाकर्ता द्वारा ये रिट याचिकाएं दिनांक 31/8/2020 के आदेश (सी.डब्ल्यू. संख्या 8199/2020 में अनुलग्नक 6) के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ता के आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा के पद पर नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया गया है। और उन्हें पदस्थापन आदेश (ए.पी.ओ.) और आदेश दिनांक 16/9/2020 (सी.डब्ल्यू. संख्या 9572/2020 में अनुलग्नक 9) में बने रहने का आदेश दिया गया है, जिससे, याचिकाकर्ता को नगर परिषद, भीलवाड़ा से नगर परिषद, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में स्थानांतरित/पदस्थापित किया गया है।

याचिकाकर्ता को शुरुआत में कार्यकारी अधिकारी-IV के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को नगरपालिका बोर्ड, रींगस, जिला जयपुर में अधिशाषी अधिकारी-द्वितीय के पद पर कार्यरत रहते हुए आदेश दिनांक 4/6/2019 द्वारा ए.पी.ओ. किया गया; 4/9/2019 को याचिकाकर्ता को नगर परिषद, झुंझुनू में पोस्टिंग दी गई; 19/2/2019 को याचिकाकर्ता को पुनः ए.पी.ओ. किया गया एवं स्थानीय स्वविभाग, जयपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया।

आदेश दिनांक 21/8/2020 द्वारा, याचिकाकर्ता को आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा के पद पर नियुक्ति दी गई; आदेश में बताया गया कि नगर परिषद, भीलवाड़ा में आयुक्त का पद वर्तमान आयुक्त की सेवानिवृत्ति के कारण 31/8/2020 से रिक्त हो रहा था, इसलिए, आदेश दिनांक 21/8/2020 1/9/2020 से लागू होगा।

31/8/2020 को एक और आदेश पारित किया गया, जिसके तहत, दिनांक 21/8/2020 के आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा के पद पर नियुक्ति दी गई थी; याचिकाकर्ता को ए.पी.ओ. रहने का आदेश दिया गया। और एक श्रीमती दुर्गा कुमारी - प्रतिवादी को आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा के पद पर नियुक्ति दी गई।

व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने दिनांक 31/8/2020 के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए S.B.C.W.P.No.8199/2020 दायर किया। आदेश दिनांक 3/9/2020 द्वारा, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 31/8/2020 के आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी।

रिट याचिका का जवाब निजी प्रतिवादी श्रीमती दुर्गा कुमारी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत अंतरिम आदेश को हटाने की मांग करते हुए एक आवेदन के साथ दायर किया गया था।

जबकि रिट याचिका संख्या 8199/2020 लंबित थी, प्रतिवादी राज्य द्वारा दिनांक 16/9/2020 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को नगर परिषद, भीलवाड़ा से नगर निगम बोर्ड, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में स्थानांतरित/पोस्ट किया गया था। श्रीमती दुर्गा कुमारी को आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा लगाया गया।

दिनांक 16/9/2020 के आदेश के पारित होने से रिट याचिका संख्या 9572/2020 दायर की गई। दिनांक 16/9/2020 के आदेश पर अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि यह मनमाना, अनुचित, अनुचित था, इसे किसी प्रशासनिक आवश्यकता या सार्वजनिक हित में पारित नहीं किया गया था, इसे केवल राजनीतिक विचारों के कारण पारित किया गया था और श्रीमती दुर्गा कुमारी को समायोजित करने के लिए, इसे सी.डब्ल्यू. संख्या 8199/2020 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3/9/2020 को दरकिनार करने के लिए पारित किया गया था। यह एक लोक सेवक के लिए न्यूनतम कार्यकाल की आवश्यकता वाली माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न घोषणाओं का उल्लंघन था और याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने और/या उसे ए.पी.ओ. रखने के बार-बार आदेश पारित करने से याचिकाकर्ता को अनावश्यक उत्पीड़न हुआ है।

राज्य का प्रतिनिधित्व अपर महाधिवक्ता और निजी प्रतिवादी ने किया। रिट याचिका में दिए गए कथनों पर विवाद करते हुए रिट याचिका के जवाब दाखिल किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को पूरी तरह से प्रशासनिक कारणों से नगरपालिका बोर्ड, लक्ष्मणगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि उक्त बोर्ड एक नवगठित बोर्ड है, जो जून, 2020 में अस्तित्व में आया और इसलिए, याचिकाकर्ता के लंबे अनुभव का उपयोग करने के लिए, उन्हें लक्ष्मणगढ़ में तैनात किया गया था। श्रीमती दुर्गा कुमारी की पदस्थापना से यह संकेत मिला है कि उनके पति, एक सरकारी कर्मचारी, भीलवाड़ा में तैनात हैं, उनके एक आवेदन पर, COVID 19 महामारी के कठिन समय के कारण, अपने बच्चों, ससुराल वालों की देखभाल के लिए, उन्हें भीलवाड़ा में तैनात किया गया था। प्रार्थना की गई कि रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाएं।

निजी प्रतिवादी श्रीमती दुर्गा कुमारी की ओर से भी जवाब दाखिल किया गया, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गईं और भीलवाड़ा में उनकी पोस्टिंग के आदेश को उचित ठहराया गया। इसके अलावा, उनकी ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा भी पेश किया गया जिसमें दावा किया गया कि चूंकि उनके ससुर फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हैं और भीलवाड़ा में

तैनात हैं, इसलिए भीलवाड़ा में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। प्रार्थना की गई कि रिट याचिका खारिज कर दी जाए।

रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 28/9/2020 के आदेश द्वारा, विद्वान अपर महाधिवक्ता को रिकॉर्ड/नोट शीट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21/8/2020, 27/8/2020, 31/8/2020 और 16/9/2020 के आदेश पारित हुए। आवश्यक अतिरिक्त शपथ पत्र दिनांक 5/10/2020 को रिकॉर्ड/नोट शीट के साथ दाखिल किया गया है।

अतिरिक्त हलफनामे के साथ प्रस्तुत सामग्री के संदर्भ में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने, उसे ए.पी.ओ. रखने, लक्ष्मणगढ़ में पोस्टिंग के अनुसार उत्तरदाताओं की पूरी कार्रवाई राजनीतिक हस्तक्षेप का परिणाम है, जो प्रतिवादी - श्रीमती के रूप में नोट शीट से स्थापित किया गया है। एक विधायक की अनुशंसा पर याचिकाकर्ता के स्थान पर दुर्गा कुमारी को पोस्टिंग दी गयी है, जिसकी अनुशंसा संबंधित मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है. यह प्रस्तुत किया गया कि नोट शीट में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि 24/8/2020 को विधायक ने मंत्री को सिफारिश की, जिन्होंने उसी दिन आदेश जारी करने का निर्देश दिया, जिसके अनुसार सबसे पहले उन्हें 27/8/2020 को ए.पी.ओ. रखा गया

था और फिर 31/8/2020 को याचिकाकर्ता की भीलवाड़ा में पोस्टिंग रद्द करने का आदेश पारित किया गया, जो 1/9/2020 से प्रभावी होना था और उसे पोस्टिंग दे दी गई। प्रशासनिक अत्यावश्यकता के अस्तित्व के संबंध में रिट याचिका के उत्तर में की गई दलीलें, प्रथमदृष्टया, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री द्वारा अस्वीकार कर दी गई हैं और, इसलिए, किसी भी प्रशासनिक आवश्यकता के अभाव में और राजनीतिक आदेशों के आधार पर पारित किए गए आदेशों को खारिज किया जाना चाहिए।

दलीलें दी गईं कि स्थानांतरण आदि के आदेश निचले स्तर से ऊपर की ओर शुरू होने चाहिए, जबकि वर्तमान मामले में यह स्पष्ट रूप से मंत्री से नीचे की ओर आया है, जो प्रथम दृष्टया व्यापार के नियमों के विपरीत है और इस आधार पर भी इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

मालचंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 12594/2017 में पारित आदेश दिनांक 6/2/2018 पर भरोसा किया गया है।

विद्वान अपर महाधिवक्ता ने विवादित आदेश पारित करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई का बचाव किया। यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि स्थानांतरण आदि के आदेश विधायकों द्वारा की गई सिफारिशों और संबंधित मंत्री के निर्देशों पर शुरू किए गए होंगे, तथापि, इन्हें

प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए पारित किया गया है और, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि केवल इस तथ्य के आधार पर कि विधायकों द्वारा सिफारिशें की गई थीं, पारित आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं।

आगे प्रस्तुतियाँ दी गईं कि दिनांक 21/8/2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की भीलवाड़ा में पोस्टिंग भी एक एम.एल.ए. द्वारा की गई सिफारिश का परिणाम थी और संबंधित मंत्री द्वारा जारी निर्देश और इसलिए, याचिकाकर्ता को श्रीमती दुर्गा कुमारी के समान तरीके से पारित आदेश की वैधता पर सवाल उठाने से रोका जाता है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से यह स्पष्ट है कि श्रीमती दुर्गा कुमारी के पति भीलवाड़ा में तैनात हैं और राज्य की नीति है कि जहां तक संभव हो सरकारी सेवा में दंपत्तियों को एक ही स्थान पर तैनात किया जाए। प्रार्थना की गई कि रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाएं।

निजी प्रतिवादी श्रीमती दुर्गा कुमारी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भीलवाड़ा में उनके पदस्थापन आदेश का पुरजोर समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया गया कि अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, उसने भीलवाड़ा में पोस्टिंग के लिए विभाग में आवेदन किया था, जहां उनके पति सेवारत थे और उनके ससुराल वाले रह रहे थे,

वहां कोविड-19 के कठिन समय में अपने परिवार की उचित देखभाल करने के उद्देश्य से इस पर अनुकूल विचार किया गया और आदेश पारित किया गया, जिसे गलत नहीं ठहराया जा सकता।

आगे दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के आचरण के कारण, जहां भविष्य की तारीख से उसका स्वयं का भीलवाड़ा स्थानांतरण, इसी तरह की सिफारिश का परिणाम था, उसे इसी तरह की प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाने के लिए नहीं सुना जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि केवल इसलिए कि एक जन प्रतिनिधि द्वारा स्थानांतरण के लिए सिफारिश की गई है, वह स्वयं स्थानांतरण के आदेश को रद्द नहीं कर सकता है। प्रार्थना की गई कि रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाएं।

मोहम्मद मसूद अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य पर भरोसा रखा गया है। : (2007) 8 एससीसी 150, हरि मोहन दुबे बनाम राजस्थान राज्य: 1989 (1) आरएलआर 36, भागीरथ मल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। : 1990 (2) आरएलआर 561 और भंवर लाल झाकड़ बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण: एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 19025/2013 का निर्णय 24/10/2013 को जयपुर खंडपीठ में हुआ।

मैंने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

शुरुआत में, यह देखा जा सकता है कि प्रस्तुतियाँ के दौरान, इस न्यायालय ने 5/10/2020 के अतिरिक्त हलफनामे के साथ विद्वान एएजी द्वारा रखी गई सामग्री को देखने के बाद, जिसमें, वर्तमान मामले में लगभग सभी आदेश एक विधायक या दूसरे द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पारित किए गए थे। संबंधित मंत्री ने केवल उसी सिफारिश पर **'कृपया आदेश जारी करें'** का संकेत देते हुए, तबादलों को प्रभावित करने के लिए अपनाए गए तरीके और प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक प्रश्न पूछा, जिस पर यह प्रस्तुत किया गया कि 'वही सामान्य प्रक्रिया थी'।

इस न्यायालय ने मालचंद शर्मा (सुप्रा) के मामले में उसी विभाग के एक मामले से निपटते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कही थीं:

> "जब विद्वान अपर महाधिवक्ता से पूछा गया कि प्रभार देने के आदेश मंत्री की ओर से नीचे की ओर कैसे जा रहे हैं, तो विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा संबंधित रिकॉर्ड के साथ बड़ी संख्या में उत्पादित नोट-शीटों के संदर्भ में यह प्रस्तुत किया गया था। अवलोकनार्थ, स्थानांतरण/तैनाती का प्रत्येक आदेश चाहे वह कार्यकारी अधिकारी, कर निर्धारणकर्ता,

लेखाकार, राजस्व निरीक्षक, सहायक अग्निशमन अधिकारी, फायरमैन, एलडीसी, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और/या किसी अन्य पद का हो, ऐसे सभी आदेश केवल मंत्री की ओर से प्रवाहित होते हैं और प्रमुख सचिव, निदेशक आदि द्वारा अनुसरण किया जाता है।

यह न्यायालय चंदर कांता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में। : एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11022/2015 पर 24/11/2015 को निर्णय लिया गया कि ग्राम सेवकों के एक पंचायत समिति से दूसरे पंचायत समिति में स्थानांतरण से संबंधित एक समान स्थिति देखी गई और सरकार के व्यवसाय के नियमों का उल्लेख करने के बाद, इसे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार देखा गया :

"बेशक, ग्राम सेवक का पद अराजपत्रित कर्मचारी के अंतर्गत आता है और इसलिए, अन्यथा भी उक्त पहलू को मंत्री के समक्ष रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी जैसा कि उत्तरदाताओं ने दावा किया है। <u>उपरोक्त के अलावा, भले ही इसे मंत्री के समक्ष रखा</u>

जाए, यहां पहले बताए गए पदानुक्रम को ऊपर से नीचे की ओर काम करने के लिए नहीं बनाया जा सकता है, मंत्री से लेकर सचिव से लेकर अतिरिक्त आयुक्त तक, जो कि स्थापित प्रथा के विरुद्ध होगा और पूरी तरह से स्थापित स्थिति के विपरीत होगा जिसमें अनुमोदन आदि एक उच्च अधिकारी द्वारा दिया जाना है और वर्तमान मामले में मंत्री द्वारा आदेश पारित करने पर सचिव और अतिरिक्त आयुक्त को केवल उसका पालन करना होता है, जो प्रक्रिया नहीं हो सकती।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आदेश/प्रस्ताव अनुलग्नक.आर-2 को पूर्णतया क्षेत्राधिकार के बिना ही कहा जा सकता है, उक्त प्रस्ताव सरकार के आदेश की प्रकृति में शामिल नहीं हो सकता है और परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं द्वारा याचिकाकर्ता को एक पंचायत समिति से दूसरे में स्थानांतरित करने के आदेश अनुलग्नक.पी-7 को भी कायम नहीं रखा जा सकता है।"

(जोर दिया गया)

वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, चंदर कांता (सुप्रा) के मामले की स्थिति से अलग नहीं है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, नोट-शीट के संदर्भ में अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में आगे पूछे जाने पर विद्वान अपर महाधिवक्ता ने कहा कि केवल उक्त प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस संबंध में आगे प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा।"

यह आदेश 6/2/2018 को पारित किया गया था। जाहिर है, ढाई साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के बावजूद, मामलों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि वही प्रथा प्रतीत होती है, जो स्पष्ट रूप से व्यवसाय के नियमों के विपरीत है।

प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चलता है कि 18/2/2020 को मंडावा, झुंझुनू के विधायक ने संबंधित मंत्री को एक पत्र लिखकर याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत की और अनुरोध किया कि श्री रोहित कुमार मील, जो ए.पी.ओ. थे, को पदस्थापित किया जाए, जिस अनुशंसा पर संबंधित मंत्री ने 'कृपया श्री देवीलाल को ए.पी.ओ. के आदेश जारी करें तथा उनके स्थान पर श्री रोहित कुमार मील को पदस्थ करें' का संकेत दिया,

जिसके आधार पर निदेशक द्वारा आदेश दिनांक 19/2/2020 जारी कर याचिकाकर्ता को ए.पी.ओ. और उनके स्थान पर श्री रोहित कुमार मील को पदस्थ किया जा रहा है।

19/8/2020 को, सहाड़ा-रायपुर-सुवाणा क्षेत्र (जिला भीलवाड़ा) के विधायक ने संबंधित मंत्री को याचिकाकर्ता को ए.पी.ओ. से आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा में पोस्ट करने की सिफारिश की और यह भी संकेत दिया कि उन्हें 31/8/2020 को रिक्त होने वाले पद पर तैनात किया जा सकता है। उक्त अनुशंसा पर संबंधित मंत्री ने दिनांक 21/8/2020 को 'कृपया आदेश जारी करें' का संकेत दिया। जिसके आधार पर 21/8/2020 को ही निदेशक द्वारा याचिकाकर्ता को 1/9/2020 से आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा के पद पर पदस्थापित करने का आदेश पारित कर दिया गया।

दिनांक 21/8/2020 के आदेश के लागू होने से पहले, मांडल (भीलवाड़ा) के विधायक ने 24/8/2020 को याचिकाकर्ता के स्थान पर श्रीमती दुर्गा कुमारी को नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से नगर परिषद, भीलवाड़ा में स्थानांतरित करने की सिफारिश की, इस नोट के साथ कि उनके पति एपीपी हैं और वर्तमान में भीलवाड़ा में तैनात हैं। उक्त पत्र पर, 24/8/2020 को ही संबंधित मंत्री ने 'कृपया आदेश जारी करें' का संकेत दिया था, जाहिरा तौर पर इस तथ्य से अनभिज्ञ कि

उनके निर्देश पर दिनांक 21/8/2020 को भीलवाड़ा में पोस्टिंग के संबंध में एक आदेश पहले ही जारी किया जा चुका था। इसके बाद, संबंधित मंत्री द्वारा दिनांक 24/8/2020 को जारी निर्देश को लागू करने के लिए, पहले प्रतिवादी श्रीमती दुर्गा कुमारी को 27/8/2020 को ए.पी.ओ. रखने का आदेश दिया गया और उसके बाद, आदेश दिनांक 31/8/2020 जारी किया गया। आदेश दिनांक 21/8/2020 को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को ए.पी.ओ. रखते हुए श्रीमती दुर्गा कुमारी को भीलवाड़ा पदस्थ किया जाए।

इसके बाद, 2/9/2020 को राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के विधायक ने संबंधित मंत्री से नगरपालिका बोर्ड, लक्ष्मणगढ़ में रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया, जिस पत्र पर मंत्री ने फिर से संकेत दिया कि 'कृपया रिक्ति को भरने के लिए पोस्ट करें', जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को लक्ष्मणगढ़ में तैनात करने का आदेश दिनांक 16/9/2020 पारित हुआ। आदेश पारित करने से पहले, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यह राय दी गई थी कि दिनांक 31/8/2020 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को ए.पी.ओ. रखने के खिलाफ इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिए जाने के बावजूद, स्थानांतरण / पोस्टिंग का आदेश दिया जा सकता है।

हालाँकि राज्य द्वारा यह दावा करके नैतिक उच्च आधार लेने का प्रयास किया गया कि जहाँ तक संभव हो, पति और पत्नी को एक ही स्थान पर रखना राज्य की नीति है। हालाँकि, प्रस्तुत नोट शीट में श्रीमती दुर्गा कुमारी को भीलवाड़ा में तैनात करते समय इस तरह के किसी विचार का संकेत नहीं दिया गया है। एकमात्र विचार 'निर्देशानुसार' दर्शाया गया है यानी विधायक की सिफारिश और मंत्री का निर्देश। इसलिए, दाखिल किया गया जवाब रिकॉर्ड से बाहर है।

स्थानांतरण करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और जिस तरीके से राज्य मशीनरी आगे बढ़ रही है, उसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

यद्यपि मोहम्मद मसूद अहमद (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा किया गया है कि एक विधायक की सिफारिश पर स्थानांतरण अपने आप में स्थानांतरण के आदेश को रद्द नहीं करेगा क्योंकि लोगों की शिकायतों को व्यक्त करना लोगों के प्रतिनिधियों का कर्तव्य है और यह किसी व्यक्तिगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालाँकि, इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि स्थानांतरण आदेश अंततः प्रशासनिक प्रमुख द्वारा दिमाग लगाने के बाद जारी किए जाने चाहिए,

वह भी व्यक्तिपरक संतुष्टि के बाद, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा की गई सिफारिशों से प्रभावित हुए बिना।

यहां तक कि एम.एल.ए. द्वारा की गई सिफारिश पर भी, जो वास्तव में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में, विशेष स्थानों पर कामकाज और/या रिक्तियों से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं, प्रशासनिक विभाग द्वारा अंतिम रूप से आदेश पारित करने में व्यक्तिपरक संतुष्टि और दिमाग का सचेत प्रयोग प्रतिबिंबित होना चाहिए कि स्थानांतरण अनिवार्य रूप से प्रशासनिक आवश्यकता और/या सार्वजनिक हित के कारण है या किसी कर्मचारी का स्थानांतरण उसकी सेवाओं के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक है। प्रासंगिक तथ्यों से यह प्रदर्शित नहीं होना चाहिए कि प्रशासनिक प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का त्याग करके किसी बाहरी इकाई के आदेश पर कार्य किया है, जिसके परिणामस्वरूप आदेश या निर्णय सरकारी कामकाज के मूल सिद्धांत के विपरीत होगा।

मोहम्मद मसूद अहमद (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और भागीरथ मल (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने कहा कि किसी एम.एल.ए. की सिफ़ारिश पर किया गया स्थानांतरण अपने आप में ख़राब नहीं होगा, ऐसे स्थानांतरण को प्रतिवादी द्वारा पढ़ा/उपयोग नहीं किया जा सकता है -

राज्य स्थानांतरणों को प्रभावी करने का एक और तरीका प्रदान करता है। यह केवल एक अपवाद के रूप में हो सकता है, न कि 'नए सामान्य' के रूप में जैसा कि विद्वान एएजी द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई है।

जैसा कि देखा गया है, एम.एल.ए. द्वारा की गई अनुशंसा पर, संबंधित मंत्री ने, प्रशासनिक प्रमुख से प्रतिक्रिया लिए बिना, केवल 'कृपया आदेश जारी करें' का संकेत दिया है, जो प्रशासनिक प्रमुख द्वारा किसी भी स्वतंत्र निर्णय के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है, जो प्रस्ताव और एम.एल.ए. द्वारा की गई सिफारिश से प्रभावित होकर निर्णय को असुरक्षित बनाता है।

स्थानांतरण को प्रभावित करने के लिए रेखांकित सिद्धांत यानी सार्वजनिक हित या प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए और रिकॉर्ड से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए, जो पहलू, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, एक आदेश में नहीं, बल्कि आदेशों की श्रृंखला में, जिसे रिकॉर्ड में रखा गया है, जैसा कि यहां पहले देखा गया है।

जैसा कि पहले देखा गया था, याचिकाकर्ता को झुंझुनू से ए.पी.ओ. कर दिया गया था, जिसके आदेश पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया था, जिसके बाद, विधायक की सिफारिश और संबंधित मंत्री

के निर्देशों पर, याचिकाकर्ता को एक असाधारण तरीके से पदस्थापित किया गया था : आगामी दिनांक से अर्थात आदेश दिनांक 21/8/2020 द्वारा उन्हें 1/9/2020 से भीलवाड़ा में पदस्थापन दिया गया। हालाँकि, इस बीच, एक अन्य विधायक से एक और सिफारिश प्राप्त हुई, जैसा कि देखा गया, स्पष्ट रूप से टिप्पणी प्राप्त किए बिना, याचिकाकर्ता को भीलवाड़ा में पोस्ट करने के दिनांक 21/8/2020 के आदेश को पारित करने से बेखबर,उसी दिन संबंधित मंत्री ने श्रीमती दुर्गा कुमारी को भीलवाड़ा में पदस्थापित करने का आदेश दिया।

हालांकि रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि श्रीमती दुर्गा कुमारी के पति के भीलवाड़ा में काम करने और उनके बीमार ससुराल वालों के भी भीलवाड़ा में रहने के कारण भीलवाड़ा में पोस्टिंग पाने का वास्तविक मामला हो सकता है, जिस स्पष्ट तरीके से मामला आगे बढ़ा है, वह प्रशासनिक कार्यप्रणाली में, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, मापदंडों को पूरा नहीं करता है।

तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं वही तरीका अपनाया है, जिस पर वह सवाल उठाना चाह रहा है और वह एम.एल.ए. द्वारा की गई इसी तरह की सिफारिश का लाभार्थी रहा है। और उक्त अनुशंसा पर संबंधित मंत्री द्वारा पारित आदेश, जिसके परिणामस्वरूप आदेश दिनांक 21/8/2020 पारित हुआ, याचिकाकर्ता को स्पष्ट रूप से उक्त आधार

पर दिनांक 31/8/2020 के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए नहीं सुना जा सकता है, जिस आदेश को रद्द करने से दिनांक 21/8/2020 का आदेश बहाल हो जाएगा, जो भी उसी विवादित प्रक्रिया का परिणाम है। इस प्रकार, स्थानांतरण/पोस्टिंग के अनुसार उत्तरदाताओं द्वारा अपनाई गई/नियमित रूप से अपनाई जा रही प्रक्रिया को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई याचिका, विशिष्ट परिस्थितियों में, बरकरार नहीं रखी जा सकती है और इसलिए, यह स्वीकार करने योग्य नहीं है।

जहां तक याचिकाकर्ता की लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में पोस्टिंग का सवाल है, रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विधायक ने रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता के बारे में संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया था, जिसके आधार पर संबंधित मंत्री ने रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता को लक्ष्मणगढ़ में तैनात होने के लिए चुना गया। हालाँकि, याचिकाकर्ता को पोस्टिंग के लिए चुनने का बताया गया कारण, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया है, जांच में टिक नहीं सकता है, याचिकाकर्ता स्वयं यह विकल्प नहीं चुन सकता है कि उसे कहाँ पोस्ट किया जाना चाहिए और इसलिए, दिनांक 31/8/2020 के आदेश को याचिकाकर्ता की चुनौती की विफलता के कारण, याचिकाकर्ता को लक्ष्मणगढ़ में तैनात करने के

आदेश दिनांक 16/9/2020 में भी किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय मालचंद (सुप्रा) के मामले में की गई टिप्पणियों को दोहराता है और प्रतिवादी अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे आदेश पारित करते समय पहले और इससे पहले की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखें, जो प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिमाग के प्रयोग को प्रतिबिंबित करना चाहिए और यह महज़ किसी बाहरी संस्था द्वारा की गई सिफ़ारिशों का परिणाम नहीं होना चाहिए।

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, याचिकाकर्ता द्वारा सी.डब्ल्यू. संख्या 8199/2020 में दिनांक 31/8/2020 (अनुबंध.6) के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई रिट याचिकाएं और आदेश दिनांक 16/9/2020 (अनुलग्नक.9) सी.डब्ल्यू. संख्या 9572/2020 में, मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

न्यायाधीश, (अरुण भंसाली)

(अनुवाद एआई टूल: SUVAS के माध्यम से अनुवादक की मदद से किया गया है)

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय का उपयोग वादी को अपनी भाषा में समझने के लिए सीमित उपयोग के लिए किया जाता है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।